




# न्यायालय, अपर समाहर्ता, खगड़िया

जमाबंदी सुधार वाद संख्या-19/2012

मसो0 चित्रा देवी बनाम राज्य

आदेश का क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
<p><u>22.07.15</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदिका मसो0 चित्रा देवी, जौजे-सुरेश शर्मा, साकिन-बेलदौर, थाना-बेलदौर, जिला-खगड़िया ने एक आवेदन देकर जमाबंदी सुधार हेतु अनुरोध किया है। आवेदिका ने जिस आपसी बंटवारा वाद संख्या-09/1983-84 का जिक्र किया है, उसका आदेश की प्रति आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है। आपसी बंटवारा वाद संख्या-09/1983-84 किस न्यायालय से संबंधित है इसका भी कोई जिक्र आवेदन पत्र में नहीं है।</p> <p>आवेदिका द्वारा प्रश्नगत भूमि के स्वत्व के संबंध में कोई भी यथार्थ लेख्य(document) दाखिल नहीं किया है, जिस कारण आदेश पारित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। वाद में स्वत्व न्याय-निर्णित का संश्लिस्ट प्रश्न सन्निहित प्रतीत होता है, जिसके उपचार के लिए आवेदिका सक्षम व्यवहार न्यायालय में याचना के लिए स्वतंत्र है।</p> <p>इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति जिला के बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को भेंजे।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               अपर समाहर्ता, खगड़िया।         </div> <div style="text-align: center;">               अपर समाहर्ता, खगड़िया।         </div> </div> <p style="text-align: center;">डी.बी.नं-364/दिनांक-27.11.2015/              प्रतिपिपि:-N.I.C, खगड़िया को सूचना के              एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।</p> <div style="text-align: center;">               अपर समाहर्ता,              खगड़िया।         </div>	

Received  
for 22/7/15